न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति निशा सहारण(आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं0 28/2007 (2007/00054)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान। प्रार्थी/वादी

बनाम

श्री जगदीश प्रसाद पुत्र मोहनलाल कौम साधू सा. बीती किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान। अप्रार्थी/प्रतिवादी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

वकील प्रार्थी श्री पैरोकार सरकार
वकील अप्रार्थी श्री भवानी सिंह

दिनांक 12.02.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार किशनगढ की ओर से दिनांक 09.03.2007 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राज.अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2010–19 के खाता नम्बर 64 पर श्री महावीर जी मंदिर स्थान देह माफी पूजनाथ पुजारी श्योराम दास चेला भीखमदास कोम साधू रामावत सा–देह के नाम ले दर्ज था जिसमें 263, 264, 265 कुल किता 3 रकबा 02 बीघा 08 बीस्वा 078 बीस्वांशी दर्ज है। एकीकरण की मिसल सम्वत 2019 में उपरोक्त भूमि खाता न.70 पर माफी श्री, महावीर जी मंदिर स्थान देह पूजनार्थ पुजारी गंगादास चेला श्योरामदास कौम साधू रामावत सा. देह के नाम खुदकाश्त में खसरा संख्या 112, 113 कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा 07 बीस्वा दर्ज था। इसके पुष्टी के लिए नकल बन्दोबस्त, एकीकरण एवं मिलान क्षेत्रफल की नकले सलंग्न प्रस्तुत है। वर्किंग जमाबन्दी सम्बत् 2041 के खाता न. 12 पर अंकित उपरोक्त खसरा नम्बर से माफी मन्दिर की महावीर जी स्थान देह का नाम विलोपित कर दिया गया तथा उक्त भूमि पर पूजारी पूजनार्थ शब्द भी हटाया जाकर गंगादास चेला शोरामदास कौम साधू–वैरागी सा देह खातेदार अंकित किया तथा गगांराम ने उक्त भूमि को पंचायत स. किशनगढ़ के नाम रहन रखकर ऋण उठा लिया। नकल सलंग्न है । श्री गंगादास की मृत्यु दिनांक 22.4.99 को हो जाने से श्री जगदीश पुत्र मोहन जाति साधू ने बीती में दिनांक 5–12–06 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 22–9–92 के आधार पर गंगादास के स्थान पर स्वंय का नाम अंकित कराने का अनुरोध किया। नकल मृत्यु प्रमाण पत्र एवं प्रार्थना पत्र सलंग्न है। श्री गंगादास चेला सोरामदास कौम पुजारी त्यागी साधू द्वारा बिन्दु संख्या 2 में अंकित भूमि को स्वअर्जित भूमि बता कर रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 22.9.92 को जगदीश प्रतिवादी 01 के नाम की रजिस्ट्री की छाया प्रति सलंग्न है। राजस्व कैम्प सिलोरा दिनांक 11.1.07 को समस्त ग्राम वासी सिलोरा ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त वसीयत का अमल रोकने एवं मन्दिर की भूमि को वापस मन्दिर के नाम करने की प्रार्थना की। इसकी जांच पटवारी हल्का सिलोरा से रेकार्ड के आधार पर जांच रिपोर्ट प्राप्त की तब इस तथ्य का पता लगा कि सम्बत 2019 के समय माफी मन्दिर श्री महावीर जी स्थान देह पूजारी पूजनार्थ शब्द को बिना विधिक निर्णय के हटाकर वर्किंग जमाबन्दी सम्बत् 2041 में गंगादास चेला शोरामदास कौम साधू वैरागी के नाम खातेदारी में अंकंन कर दिया गया है। ग्रामवासी सिलोरा एवं रिपोर्ट पटवारी सलंग्न प्रस्तुत है। उपरोक्त तथ्यों का पता दिनांक 11.1.07 को चलने पर यह प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः समय छूट प्रदान करने हुए की जावे। अन्त में निवेदन है कि परिपत्र क्रमांक प 2(4) राज/ग्रुप–6/4/90/37

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

दिनांक 13.12.91 के बिन्दु सख्या 3 के अनुसार पुजारी का नाम विलोपित करते हुए उपरोक्त खसरा संख्या 112, 113 कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा 07 बीस्वा में श्री महावीर जी मन्दिर स्थान देह का नाम अकिंत कराने की स्वीकृति प्रदान करायी जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी करवाई गई। दिनांक 02.06.2015 को अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री भवानी सिंह उपस्थित हुये तथा जवाब पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र पैरा सख्या 1 के कथन में लेख है कि ग्राम सिलोरा के संवत् 2010 से 2019 की जमाबन्दी अनुसार खसरा संख्या 263, 164, 160 कुल रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा होना स्वीकार है। शेष कथन गलत मिथ्या होने से अस्वीकार है। ग्राम सिलोरा स्थित खसरा संख्या 112 रकबा 7 बिस्वा गै० मु०चाह, खसरा सख्या 113 रकबा 2 बीघा के खातेदार, काश्तकार थे तथा उपरोक्त कृषि भूमि को गंगादास ने ग्राम पंचायत समिति किशनगढ में रहन भी रखी थी। उपरोक्त कृषि भूमि पर गंगादास ही खातेदार, काबिज, काश्तकार था। प्रार्थना पत्र पैरा सख्या 4 के कथन में लेख है कि गंगादास की मृत्यु दिनांक 22.04.1999 को हो गयी थी लेकिन वे अपने जीवन काल में जवाबकर्ता की सेवा सुश्रूषा से काफी प्रसन्न थे। उनके कोई जाईन्दा पुत्र व पुत्री सन्तान नही थीं। क्योंकि गंगादास जी कुंवारे थे। जवाबकर्ता जगदीश ही उनके जीवन पर्यन्त सेवा करता था। जवाबकर्ता की सेवा सुश्रूषा से प्रसन्न होकर दिनांक 22.09.1992 को रजिस्टर्ड वसीयत मेरे पक्ष में निष्पादित की थी जो उप पंजीयक किशनगढ कार्यालय में पुस्तक संख्या 3 जिल्द सख्या 10 क्रम सख्या 38 पृष्ठ संख्या 41 अतिरिक्त पुस्तक संख्या (जिल्द) 7 क्रम संख्या 38 पर रूबरू गवाहन के समय निष्पादित की थी तभी से अप्रार्थी ही उपरोक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्तकार है तथा उपरोक्त कृषि भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिये काफी धन खर्च किया तथा अन्य सुधार विकास कार्य किये। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 5 के कथन में लेख है कि गंगादास जी ने रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 22.09.1992 को अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित की थी तभी से अप्रार्थी ही काबिज, काश्तकार होकर उपरोक्त कृषि भूमि से अपनी आजीविका अर्जित कर परिवार का भरण पोषण कर रहा है। प्रार्थना पत्र पैरा सख्या 6, 7 के कथन गलत, निराधार होकर अस्वीकार है। उपरोक्त रजिस्टर्ड वसीयत से अप्रार्थी की एकमात्र गंगादास का वारिस होकर काबिज है। प्रार्थी विगत 30 वर्षों से आजीविका हेतु किशनगढ में रहता हैं, इसी कारण उपरोक्त जमीन के बाबत झूठी शिकायत तहसीलदार साहब को राजनैतिक द्वैषता वंश पेश कर अप्रार्थी को परेशान करने के उद्देश्य से की है। संवत् 2041 में खातेदार, काश्तकार गंगाराम चेला सोरामदास जाति साधू नें दिनांक 22.9.1992 को रजिस्टर्ड वसीयत अप्रार्थी जगदीश पुत्र मोहन जाति साधू के पक्ष में निष्पादित की थी। उपरोक्त वसीयत को लगभग 23 वर्ष हो चुके है तभी से अप्रार्थी जगदीश ही काबिज, काश्तकार है। रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर जगदीश ही उपरोक्त कृषि भूमि का एकमात्र विधिक अधिकारी है,अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि दिनांक 22.9.1992 की रजिस्टर्ड वसीयत के अनुसार अप्रार्थी जगदीश पुत्र मोहन जाति साधू का नाम गंगाराम चेला सोरामदास के नाम की जगह स्थापित करने की कृपा करावे।

तहसीलदार किशनगढ द्वारा दिनांक 06.02.2025 को जवाब पेश कर जाहिर किया कि वादअधीन भूमि के सम्बन्ध में रेफरेन्स प्रकरण दायर नहीं किया गया है।

दिनांक 10.02.2025 को हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2010–19 तथा जमाबन्दी सम्वत 2019 में वादअधीन भूमि श्री महावीर जी मंदिर स्थान देह माफी पुजनार्थ पुजारी श्योरामदास चेला भीखमदास कौम साधू सम्वत स्था. देह के नाम दर्ज है किन्तु वर्किंग जमाबन्दी में खसरा संख्या 112, 113 में

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

मंदिर का नाम बिना किसी सक्षम आदेश के विलोपित कर गंगादास चेला शोरामदास कौम साधू बैरागी सा. देह खातेदार का अंकन कर दिया गया जो कि विधि विरूद्व है।

राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप 06 के परिपत्र क्रमांक क प 02 राज. 04/90/37 दिनांक 13.12.1991 के अनुसार मंदिर मूति शाश्वत नाबालिग की श्रेणी में आती है तथा देवमूर्ति की भूमि पर पुजारी या अन्य किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकतें हैं, पुजारी मन्दिर भूमि के खातेदार नहीं है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप 06) विभाग के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मंदिर के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी। उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। मंदिर मूर्ति निरन्तर अवयस्क है। वह किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी, सेवादार, आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इनके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। ऐसे प्रकरणों जिनमें मंदिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है उनमें निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही की जावे। अतः उक्त प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढ को आदेशित किया जाता है कि वादअधीन भूमि में राज.काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 एवं भू.राज.अधि. की धारा 82 तथा राजस्थान सरकार के विभिन्न आदेशों/परिपत्रों की पालना में उक्त भूमि का सन्दर्भ प्रकरण (रेफरेन्स) सक्षम न्यायालय में दायर करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ अजमेर